


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जयसिंह पुत्र किशनसिंह गाम लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली 306302 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण प्रथम सूचना अपील संख्या :- 82/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/320 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>28.01.22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 23.09.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण ने जरिये पत्रांक/भू.अ./सू.अ./2021/5131 दिनांक 03.12.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./सू.अ./2021/ 4368 दिनांक 18.10.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। तथा उक्त पत्र की मूल प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित करते हुए अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। तथा अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के सलग्न पटवार मण्डल रामावास कलां द्वारा अपीलार्थी व तहसीलदार जैतारण को प्रेषित पत्र की प्रति पर पत्र क्रमांक, दिनांक, सील आदि का अंकन नहीं होने से सरकारी कार्यालय से जारी दस्तावेज मानने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर को ही सही मानते हुए यह माना जाना उचित होगा कि वांछित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। तथा अपीलांत उपस्थित नहीं होने से यह माना जाता है कि वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	